

**राजस्थान सरकार,
उपभोक्ता मामले विभाग**

क्रमांक: एफ 89(8)उ०मा०वि०/भर्ती प्रकोष्ठ/2022

दिनांक 26/08/2022

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

राज्य आयोग के अध्यक्ष पद हेतु नियुक्ति के लिये अर्हताएं – राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर के अध्यक्ष पद हेतु उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-03(1) के अनुसार वही व्यक्ति पात्र होगा जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है।

ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अयोग्य होगा यदि वह:-

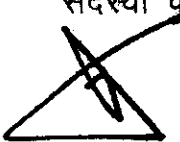
- (क) ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और करवास की सजा प्राप्त हो; अथवा
- (ख) दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा
- (ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो; अथवा
- (घ) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कॉर्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो; अथवा
- (ङ) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-08 के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अभिशप्ता पर राज्य सरकार द्वारा की जावेगी।

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष हेतु चयनित व्यक्ति लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं रहेगा, ना ही चयन के पश्चात् लाभ का पद ग्रहण करेगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष को राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा-शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार वेतन/मानदेय/भत्ते/परिलाभ देय होंगे।

यह नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगी।

अध्यक्ष पद की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग



पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-06(12) में वर्णित शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्वधीन होगी।

इच्छुक व्यक्ति विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपना सम्पूर्ण वांछित विवरण मय फोटो तीन प्रतियों में संलग्न कर आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 12.09.2022 को सायं: 5.00 बजे तक " निदेशालय उपभोक्ता मामले विभाग, आर.टी.डी.सी. होटल परिसर का प्रथम तल, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर " को लिफाफे के ऊपर बांधी और "राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र" अंकित करते हुये व्यक्तिशः/डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।


(अशुतोष ए.वी. पेडनेकर)
शासन सचिव
उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक: एफ 89(8)उभोमावि०/भर्ती प्रकोष्ठ/2022

दिनांक 25/08/2022

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर।
6. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन तत्काल कराए जाने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर से सम्पर्क कर शीघ्र कार्यवाही करावें।
8. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव
उपभोक्ता मामले विभाग

Application for the post of President of Rajasthan State Consumer Disputes Redressal Commission, Jaipur

- (a) (i) Full Name
(in English capital letters)
(ii) नाम
(हिन्दी में)
(b) Father/Husband Name
(c) Date of Birth

Please affix your
Recent
Photograph

- (d) Address with telephone Nos., Mobile No., Email etc.
(i) Permanent Residential address

(ii) Present Address

(iii) Mobile No. & E-mail

- (e) Educational & Professional Qualification (Graduation and onwards):

- (f) Date of joining as High Court Judge
(g) Date of Retirement as High Court Judge (if Retired)
(h) Name of Parental High Court

(i) Does the applicant suffer any disqualification as per Rule-5 of Consumer Protection (Qualification for Appointment, Method of Recruitment, Procedure of Appointment, Term of Office, Resignation and Removal of the President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020

(j) Enclosure:

Copy of appointment warrant as High Court Judge.

Signature.

(Name)

DECLARATION

I----- do hereby declare that the above information is true & correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed by me.

Signature

(Name)

Place
Date

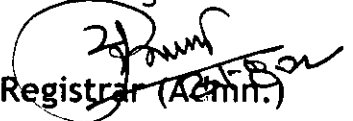
RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No./RSJ/Estt.A(ii)/03/2004/ 3238

Date : 31/08/2022

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

1. Hon'ble sitting Judges of RHC, Jodhpur through their P.S.
2. Registrar (Admn.), RHCB, Jaipur with the request to circulate it amongst all the Hon'ble Judges sitting at RHCB, Jaipur through their P.S.
3. Hon'ble Judges who have retired in August, 2021 and thereafter.
- ✓ 4. Computer Cell, RHC, Jodhpur to upload it on website of Rajasthan High Court and E-mail to retired Hon'ble Judges.


Registrar (Admn.)